

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

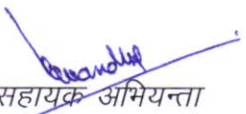
कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (रामपुर-कुनीगाड़ मोटरमार्ग का विस्तार) का कार्य 2.00 किमी०।

जनपद अल्मोड़ा चौखुटिया ब्लाक के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया (रामपुर-कुनीगाड़ मोटरमार्ग का विस्तार) मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में यहाँ की जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। इस मोटर मार्ग के लिये 2 समरेखन निर्धारित किये गये थे :-

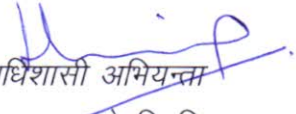
समरेखन-1 यह समरेखन ग्राम सुनगढ़ी के वन पंचायत (कुनीगाड़) से गुजरता हुआ भनोटिया गाँव में रामपुर-कुनीगाड़ मोटर मार्ग के किमी०-3 पर समाप्त होता है। इसकी लम्बाई 2.00 किमी० है। यह समरेखन दो क्षेत्र (कुमायँ एवं गढ़वाल क्षेत्र) की जनता को लाभान्वित करता है इसमें आम लोगों की सहमति भी है और इस समरेखन से मार्ग के निर्माण की लागत भी कम आयेगी। इस समरेखन हेतु भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी सहमति दी गई है।

समरेखन-2 यह समरेखन ग्राम सुनगढ़ी के वन पंचायत (कुनीगाड़) से गुजरता हुआ भनोटिया गाँव में रामपुर-कुनीगाड़ मोटर मार्ग के किमी०-3 पर समाप्त होता है। इसकी लम्बाई 2.00 किमी० है। यह समरेखन दो क्षेत्र (कुमायँ एवं गढ़वाल क्षेत्र) की जनता को लाभान्वित करता है इसमें आम लोगों की सहमति भी नहीं है, एवं मार्ग निर्माण में अत्यधिक वृक्ष आयेंगे तथा कठोर चट्टान होने के कारण ज्यादा लागत आयेगी।

उपर्युक्त दोनों समरेखनों के अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा समरेखन-1 में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती है तथा वन भूमि के अतिरिक्त निर्माण हेतु कोई और विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने हेतु परियोजना को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है।


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग,
रानीखेत ।


अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग,
रानीखेत ।